

दस्तावेज

न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

क्रमांक/कोर्ट/2022/ 30

दिनांक 10/1/23

श्रीमती नीलम पत्नि बलराम
जाति जाटव, निवासी लुहासा
तहसील नदबई, जिला भरतपुर

विषय:-अपील संख्या 107/22 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
श्रीमती नीलम बनाम लोक सूचना अधिकारी

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी प्रथम अपील दिनांक 07.12.2022 (जो कि जनरल रिसीट क्रमांक 388 दिनांक 07.12.2022 से) प्राप्त हुई है के सन्दर्भ में लेख है कि आप द्वारा प्रेषित अपील के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्रों की फोटो प्रति सलंगन नहीं की गई हैं। अतः आप सूचना का अधिकार नियम 2005 के नियम 6 के अनुसार दस्तावेज सलंगन कर भिजवायें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :- मूल अपील कित्ता -3


आज्ञा से



रीडर
जिला कलक्टर,
भरतपुर

107/22
30/12/22

फर्द अहकाम
अज अदालत -जिला कलक्टर-मुकाम -भरतपुर
श्रीमती नीलम बनाम लोक सूचना अधिकारी,
किस्म मुकदमा-अपील आर.टी.आई. नम्बर/07 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.12.2022	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट श्रीमती नीलम पत्नि बलराम जाति जाटव निवासी लुहारसा तहसील नदबई जिला भरतपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी सीडीपीओ नदबई के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील के साथ सूचना का अधिकार नियम 6 के तहत प्रार्थना पत्रों की फोटो प्रति सलग्न नहीं की गई है। सूचना का अधिकार नियम 6 के तहत दस्तावेज सलग्न कर भिजवाये जाने आवश्यक हैं। अतः अपीलार्थी को प्राप्त मूल अपील को लोटाते हुये दस्तावेजात सलग्न कर पुनः अपील प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।</p> <p> जिला कलक्टर भरतपुर गिबब०</p>	